बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक-1/WRD-IT/IT/06/2022/ 62 पटना, दिनांक :-05/03/2025

आदेश

बिहार लोक निर्माण संहिता के अधीन, मुख्य अभियंता को प्रक्षेत्र के प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों के समुचित एवं सुचारू संचालन हेतु उत्तरदायी एवं दायित्वबद्ध बनाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में, उनके द्वारा अधीनस्थ क्षेत्र के निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। इसी क्रम में, अधीक्षण अभियंता को भी अपने अंचल के अंतर्गत संचालित निर्माण प्रक्रियाओं की सतत समीक्षा करने तथा प्रबंधन प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं किफायती बनाने का उत्तरदायित्व निर्धारित है।

परन्तु बिहार लोक निर्माण संहिता में यह निर्दिष्ट नहीं है कि मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा साप्ताहिक अथवा पाक्षिक रूप से किए जाने वाले स्थल निरीक्षणों की न्यूनतम सीमा क्या होगी। तथापि, विभिन्न निर्माण योजनाओं की गुणवत्ता, तकनीकी विशिष्टताओं एवं परियोजना प्रगति को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, इन अधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर स्थल निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है।

2. उल्लेखनीय है कि WRD-DRISHTI मोबाइल ऐप के माध्यम से विभागीय योजनाओं, निर्माण कार्यों एवं स्थलों के निरीक्षण किये जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा उक्त निरीक्षणों से संबंधित प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ ऐप पर प्रविष्ट किए जाते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, WRD-DRISHTI मोबाइल ऐप के माध्यम से किये जा रहे निरीक्षणों की न्यूनतम संख्या का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं।

3. वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत निर्धारित किया जाता है कि कार्य से सम्बंधित सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा WRD-DRISHTI मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रति सप्ताह न्यूनतम तीन (03) निरीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा।

4. स्थल निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि:

- निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता की विधिपूर्वक समीक्षा करते हुए किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अथवा तकनीकी बाधाओं का समुचित निराकरण किया जाए, जिससे योजनाओं के निष्पादन में अवरोध न उत्पन्न हो और योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण की जा सकें।

- कार्यस्थल पर विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों, निर्देशों एवं नियामकीय आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

6. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

05/03/25

(अलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक-1/WRD-IT/IT/06/2022/ 62 पटना, दिनांक :- 05/03/2025

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/ अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित)/ सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-1/2/3/4/ बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल/ सिंचाई योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

05/03/25

(अलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, पटना।